



प्रिलमिस फैक्ट्स : 13 जनवरी, 2018

आधार के लिये नई सुरक्षा परत

आधार कार्ड की सुरक्षा और नजिता पर आलोचनाओं के चलते भारतीय वशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इसकी सुरक्षा के लिये वर्चुअल आईडी नामक नए सुरक्षा प्रावधान को शुरू करने की घोषणा की है।

प्रमुख बदि

- भारतीय वशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 1 जून, 2018 से वर्चुअल आईडी (Virtual ID-VID) की अवधारणा को लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत अब मोबाइल समि या बैंक खाते को आधार से लकिक करने या अन्य कार्यों के लिये 12 अंकों का अपना आधार नंबर बताना अनविर्य नहीं होगा।
- इसके स्थान पर 16 अंकों की वर्चुअल आईडी से सारी प्रक्रियाएँ पूरी की जा सकेंगी। आधार कार्डधारक इस आईडी को प्राधिकरण की वेबसाइट के ज़रिये प्राप्त कर सकेंगे।
- इस आईडी की प्रमुख वशिष्टता यह है कि इसकी वैधता एक नश्चित अवधि के लिये ही होगी और वर्चुअल आईडी का दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। इससे इसका दुरुपयोग होने की संभावना कम हो जाएगी। प्रयोक्ता जतिनी बार चाहे उतनी बार वर्चुअल आईडी प्राप्त कर सकेंगे।
- इसके ज़रिये संबंधित व्यक्ता के बारे में सीमति जानकारियाँ ही प्राप्त की जा सकेंगी। इससे सीमति केवाईसी (Know Your Customer-KYC) की व्यवस्था लागू हो जाएगी। इससे केवल व्यक्ता के नाम, पता और फोटो तक ही पहुँच मलि सकेगी।
- प्राधिकरण के अनुसार, इसके लिये आवश्यक सॉफ्टवेयर को 1 मार्च तक वकिसति कर लिया जाएगा और 1 जून से इसे अनविर्य रूप से लागू कर दिया जाएगा। इस समयावधि में प्राधिकरण से संबद्ध एजेंसियों को इसे अपनाना होगा।

भारतीय वशिष्ट पहचान प्राधिकरण

- भारतीय वशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India-UIDAI) एक सांघिकि प्राधिकरण है।
- इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा आधार (वत्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लक्षति वतिरण) अधनियम, 2016 ("आधार अधनियम, 2016") के प्राधानों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकि मंत्रालय के तहत दनिांक 12 जुलाई, 2016 को की गई।
- प्राधिकरण का मुख्यालय नई दलिली में है और देशभर में इसके आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। UIDAI के दो डेटा सेंटर, हेबबल (बेंगलुरु) कर्नाटक में और मानेसर (गुरुग्राम) हरयाणा में हैं।
- UIDAI की स्थापना भारत के सभी नवासियों को "आधार" नाम से एक वशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने हेतु की गई थी ताकि इसके द्वारा दोहरी और फर्जी पहचान समाप्त की जा सके और उसे आसानी से एवम कफियती लागत में सत्यापति और प्रमाणति किया जा सके।
- एक सांघिकि प्राधिकरण के रूप में अपनी स्थापना से पूरव यह तत्कालीन योजना आयोग (अब नीतिआयोग) के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था। बाद में सरकार द्वारा सरकारी कार्य आवंटन नयियों में संशोधन करके 12 सतिम्बर, 2015 को UIDAI को तत्कालीन सूचना और प्रौद्योगिकि वभिाग के साथ संबद्ध कर दिया गया।

नरिवाचन संबंधी प्रावधानों में सुधार हेतु समतिकि गठन

डजिटल और इलेक्ट्रॉनिकि मीडिया के तेज़ी से वसितार के चलते मौजूदा आदर्श आचार संहति, जन प्रतनिधित्व अधनियम, 1951 की धारा 126 और अन्य संबंधित प्रावधानों में आवश्यक संशोधनों पर सुझाव देने हेतु एक समतिकि गठन किया गया है।

प्रमुख बदि

- भारतीय नरिवाचन आयोग द्वारा एक 14 सदस्यीय समतिकि गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष उप-चुनाव आयुक्त उमेश सनिहा हैं। यह समतिकि तीन महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
- चुनाव आयोग के नौ अधिकारियों के अलावा इस समतिकि में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, वधि मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकि मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रसारण संगठन (National Broadcasters Association) और भारतीय प्रेस परिषद प्रत्येक से एक नामति सदस्य भी होगा।
- नरिवाचन कानून में संशोधन के अलावा यह समतिकि धारा 126 के आलोक में 'मौन अवधि' (Silence Period) के दौरान नए मीडिया मंचों और सोशल मीडिया के प्रभाव और इसके अनुरूप आदर्श आचार संहति में सुधार का भी सुझाव देगी।
- मौन अवधि के दौरान उम्मीदवारों द्वारा कोई सक्रिय चुनावी अभियान नहीं चलाया जाता है।

- बहु-चरणीय मतदान के दौरान नषिधात्मक 48 घंटों के दौरान मीडिया प्लेटफॉर्मों को वनियमिति करने में आने वाली कठिनाइयों पर भी समतिकार्य करेगी।

क्या है जन प्रतनिधित्व अधनियम, 1951 की धारा 126?

इसके तहत मतदान के लिये नरिधारति समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं या कसिी भी तरह के जनमत सर्वेक्षण पर रोक है तथा इस अवधि के दौरान सनिमा, टेलीवजिन या इसी तरह के प्रचार माध्यम द्वारा जनता में कसिी तरह की प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं कया जा सकता।

क्या है आदर्श आचार संहति?

- आदर्श आचार संहति (Modal Code of Conduct) चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के आचरण को वनियमिति करने के लिये भारतीय नरिवाचन आयोग द्वारा जारी दशा-नरिदेशों का एक समूह है। इसे वैधानिक दर्ज़ा प्राप्त नहीं है। 1971 में इसे पहली बार ज़ारी कया गया था।
- इसका उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों के लिये बराबरी का समान स्तर उपलब्ध कराना, प्रचार अभियान को नषिपक्ष तथा स्वस्थ रखना, दलों के बीच झगड़ों तथा वविदों को टालना है।
- यह सत्ताधारी पार्टी को आम चुनाव में अनुचति लाभ लेने के लिये सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग को रोकता है।

कंधमाल हल्दी के लिये भौगोलिक संकेतक की मांग

रसगुलले पर भौगोलिक संकेतक की मान्यता के लिये पश्चिम बंगाल से हारने के बाद अब ओडशा ने कंधमाल ज़िले में उगाई जाने वाली हल्दी पर जीआई टैग की मांग की है।

प्रमुख बदि

- कंधमाल एपेक्स स्पाइस एसोसिएशन फॉर मार्केटिंग (Kandhamal Apex Spices Association for Marketing - KASAM) ने गुरुवार को चेन्नई में जीआई रजिस्ट्रार के समक्ष कंधमाल हल्दी के लिये जीआई टैग की मांग की है।
- KASAM राज्य द्वारा संचालित संस्था है जो परंपरागत तरीके से मसाला उत्पादन करने वाले भारतीय कसिानों का उस क्षेत्र में प्रतनिधित्व करती है।
- संबंधित अधिकारियों की टीम ने कसिानों और अनुसंधान वैज्ञानिकों से बातचीत करने के साथ ही कंधमाल हल्दी की वशिषिता से संबंधित ऐतिहासिक आँकड़ों एवं तकनीकी जाँच पर रिपोर्ट की समीक्षा करने पर इसकी उत्पादन पद्धति और सामाजिक, पारंपरिक और धार्मिक महत्व को उच्च स्तर का पाया है।
- तकनीकी और वैज्ञानिक जांच के लिये प्रतषिठित प्रयोगशालाओं में इस हल्दी के वभिनिन स्थानों से एकत्र करि गए नमूनों के परीक्षण में यह पाया गया कि इसमें औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिये उच्च क्षमता वाले वशिष गुण पाए गए।

कंधमाल हल्दी (KANDHAMAL HALDI)

- कंधमाल में पैदा होने वाली हल्दी को जैविक गुणवत्ता के लिये सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रमाण पत्र प्राप्त है। इसके उत्पादन में कसिानों द्वारा कसिी भी तरह के कीटनाशक का प्रयोग नहीं कया जाता है।
- वशिषजुओं के मुताबिक हल्का लाल रंग लिये कंधमाल की हल्दी गुणवत्ता के मामले में उन्नत है। इसका औषधीय उपयोग करने पर कसिी तरह के दुष्प्रभाव की संभावना नहीं रहती है।
- भुवनेश्वर से करीब 200 किलोमीटर दूर जंगलों से घरि पहाड़ी ज़िले कंधमाल की लगभग आधी आबादी अपनी आजीविका के लिये इसकी खेती पर नरिभर है।
- यह वभिनिन पर्यावरणीय दशाओं के लिये अनुकूलित है, इस कारण इसे प्रतकूल जलवायु परस्थितियों में भी उगाया जा सकता है।
- हालाँकि इसे अन्य कसिमों से आसानी से अलग कया जाता है, लेकिन करकुमनि (Curcumin), ओलेओरेसनि (Oleoresin) और वाष्पशीलता (Volatile) जैसी वशिषताओं के कारण यह घरेलू, कॉस्मेटिक और औषधीय रूप से बहुत उपयोगी है।
- करकुमनि और ओलेओरेसनि इसमें पाए जाने वाले शक्तिशाली एंटी-ऑक्सीडेंट और ज्वलनरोधी पदार्थ हैं।
- जीआई टैग मलिन से इसके व्यावसायिक मूल्य को बढ़ाने में सहायता मलिंगी तथा कंधमाल के कसिानों के हतियों की रक्षा तथा आजीविका के बेहतर अवसर सुनिश्चति होंगे।
- भौगोलिक संकेतक (Geographical indicator-GI) कसिी उत्पाद को दया जाने वाला एक वशिष टैग है। जीआई टैग उस उत्पाद को दया जाता है जो कसिी वशिषिट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होता है या उसमें नहिति वशिषताओं का उस स्थान वशिष से गहरा संबंध होता है।

सक्षम- 2018 (SAKSHAM- 2018)

प्रमुख बदि

- सक्षम अर्थात् संरक्षण क्षमता महोत्सव (Sanrakshan Kshamta Mahotsav - SAKSHAM) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतरगत आने वाले संगठन पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित कया जाने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है।
- सक्षम 2018 की टैगलाइन 'ईंधन संरक्षण की ज़िम्मेदारी, जन गण की भागीदारी' है।
- इसका उद्देश्य तेल एवं गैस के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ-साथ राज्य सरकारों जैसे अन्य हतिधारकों के साथ मलिकर बेहतर स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिये जन-केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण और कुशल उपयोग के बारे में लोगों में संवेदनशीलता और जागरूकता का प्रसार करना है।

- 16 जनवरी, 2018 को दल्लि के सरि फोर्ट ऑडिटरियम में इसकी शुरुआत की जाएगी। इस अभियान के दौरान नागरिकों को पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण और उनके कारगर इस्तेमाल के प्रती जागरूक बनाने के प्रयासों में तेजी लाई जाएगी।
- इसके लिये PCRA वभिन्न जनाधारति गतविधियिँ चलाएगा जैसे- ड्राइवरो/ फ्लीट ऑपरेटरो का प्रशिक्षण कार्यक्रम, ईधन सकषम वाहन चालन प्रतियोगिता, महिलाओं/ बावर्चयिँ/ घरेलू सेवकियों/ स्कूल और कॉलेज की लड़कियिँ के साथ ईधन बचत तथा एलपीजी/पीएनजी के फायदों पर सामूहिक वार्ता, स्कूलों/ कॉलेजों/ विश्वविद्यालयों के लिये शिक्षा कार्यक्रम, किसानों के लिये जागरूकता कार्यक्रम, वॉकेथॉन, कॉन्सर्ट, प्रदर्शनी इत्यादि।
- इसके अतिरिक्त PCRA ने 21 जनवरी को देश भर में साइकलि दविस के रूप में मनाने की योजना बनाई है। ईधन संरक्षण, जाम की स्थिति में कमी लाकर वाहनों से उत्सर्जति होने वाले धुएँ में कमी लाने और यातायात प्रवाह में सुधार लाने का संदेश देने के लिये इंदौर, भुवनेश्वर, मुंबई आदि में साइक्लोथॉन का आयोजन कया जाएगा।
- पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (Petroleum Conservation Research Association- PCRA) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में स्थापति एक पंजीकृत सोसायटी है।
- एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में, PCRA एक राष्ट्रीय सरकारी संस्था है जो अर्थव्यवस्था के वभिन्न कषेत्रों में उर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देने में कारगर है।
- यह तेल की आवश्यकता पर देश की अत्यधिक निर्भरता को कम करने हेतु पेट्रोलियम संरक्षण की नीतियिँ एवं रणनीतियिँ प्रस्तावति करने में सरकार की सहायता करता है।
- PCRA का लक्ष्य तेल संरक्षण को एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाना है। PCRA द्वारा पेट्रोलियम उत्पाद और उत्सर्जन में कमी एवं संरक्षण के महत्त्व, तरीके और लाभ के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने का कार्य सुचारु रूप से कया जा रहा है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/prelims-fact-13-01-2018>

